न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

1.निगरानी संख्या– /2014–15

श्री निसार अहमद –बनाम– उप जिलाधिकारी आदि

2.निगरानी संख्या– /2014–15

श्री धर्मवीर –बनाम– उप जिलाधिकारी आदि

3.निगरानी संख्या– /2014–15

श्री हनीफ –बनाम– उप जिलाधिकारी आदि

4.निगरानी संख्या– /2014–15

श्री मंगता –बनाम– उप जिलाधिकारी आदि

उपस्थितिः श्री विनोद चन्द्र रावत, सदस्य(न्यायिक)।

बावत

मौजा रहमतपुर अहतमाल,
परगना व तहसील रूड़की, जनपद हरिद्वार।

आदेश

उपरोक्त निगरानियाँ विद्वान उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूड़की द्वारा वाद संख्या–83/2009 अन्तर्गत नियम–176क(2) जमींदारी विनाश नियमावली गांव सभा बनाम अली अहसन आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 03–11–2009 के विरूद्व योजित की गई हैं।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के पत्र दिनांक 16–07–2009 एवं जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 29–07–2009 के आधार पर सहायक कलेक्टर, रूड़की के न्यायालय में वाद की कार्यवाही इस आधार पर प्रारम्भ हुई कि निगरानीकर्तागण एवं अन्य व्यक्तियों को बतौर आसामी भूमि आवंटित की गई और जमींदारी विनाश नियमावली के नियम–176क के अनुसार पट्टे की अवधि अधिकतम 05 वर्ष होती है जबकि आवंटीगण लगभग 32–33 वर्ष से भूमि का उपयोग करते चले आ रहे हैं जिस कारण आवंटीगण के पक्ष में आसामी आवंटन बनाये रखना न्यायोचित नहीं है। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूड़की ने निर्णयादेश दिनांक 03–11–2009 से वाद स्वीकार करते हुए आवंटीगण/पट्टाग्रहिता के आसामी पट्टे निरस्त करते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति पूर्ववत ग्रामसभा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए गए।

सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 03–11–2009 के विरूद्व उपरोक्त निगरानियाँ निगरानीकर्तागण ने इस आधार पर योजित की हैं कि विवादित भूमि निगरानीकर्तागण को लगभग 35 वर्ष से अधिक समय पूर्व तत्कालीन भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर वर्ष 1975 में आवंटित की गई थी और तभी से निगरानीकर्तागण उक्त भूमि पर काश्त कर रहे हैं। अवर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्तागण को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया और एकपक्षीय रूप से आदेश पारित कर निगरानीकर्तागण के पक्ष में आवंटित

भूमि का पट्टा एकपक्षीय रूप से निरस्त कर दिया गया। अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण को आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस अथवा सूचना प्रेषित नहीं की गई जिसके कारण वे अवर न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। निगरानीकर्तागण को वादग्रस्त भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त हो चुके थे और अवर न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया। निगरानीकर्तागण वादग्रस्त भूमि पर अपनी काश्त कर परिवार का पालन कर रहे हैं और उनके पास आय का कोई अन्य श्रोत नहीं है। अवर न्यायालय के एकपक्षीय आदेश से निगरानीकर्तागण को अपना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। निगरानी स्वीकार कर निगरानीकर्तागण को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुरूप है।

निगरांनीकर्तागण को सुना गया एवं निगरानी तथा अवर न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 03–11–2009 का अवलोकन किया गया। अवर न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 03–11–2009 के प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही यह स्पष्ट होता है कि यह आदेश एकपक्षीय आदेश है और आदेश पारित करने से पूर्व विद्वान सहायक कलेक्टर ने निगरानीकर्तागण को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया जिसकी पुष्टि निर्णयादेश के पृष्ठ–8 की अन्तिम पंक्ति से होता है। निर्णयादेश पारित करने से पूर्व एवं आवंटन रद्द करने से पूर्व निगरानीकर्तागण को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुरूप है जिसका पालन नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत आवंटन निगरानीकर्तागण को लगभग 30–35 वर्ष पूर्व किया गया था और इतनी लम्बी अवधि तक प्रश्नगत भूमि का आवंटन रद्द करने से पूर्व अवर न्यायालय को निगरानीकर्तागण को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानियाँ आंशिक रूप से स्वीकार निगरानीकर्तागण को अवर न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

अतः निगरानियाँ ग्राह्यता स्तर पर ही स्वीकार कर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूड़की द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 03–11–2009 निरस्त कर प्रकरण इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निगरानीकर्तागण को प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद का गुणदोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण करें। यह आदेश केवल निगरानीकर्तागण के खसरा नम्बरों पर ही प्रभावी होगा। पत्रावली संचित हों।

दिनांकः 30 मार्च, 2015

(विनोद चन्द्र रावत)

सदस्य(न्यायिक)।